www.cbi.gov.in

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
(सूचना अनुभाग)
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

प्रेस विज्ञाप्ति
दिनांक: 28.03.2017

सीबीआई ने घूसखोरी के मामले में पूर्वी तट रेलवे के कार्यालय अधीक्षक को गिरफ्तार किया

सीबीआई ने शिकायतकर्ता से 20,000 रू. की घूस की मॉंग व स्वीकार करने पर पूर्वी तट रेलवे, वाल्टेयर मण्डल, किरण्डुल, जिला दान्तेवाड़ा (छत्तीसगढ़) के ए.ई.एन. के कार्यालय में कार्यरत कार्यालय अधीक्षक को गिरफ्तार किया।

पूर्वी तट रेलवे, वाल्टेयर मण्डल, किरण्डुल, जिला दान्तेवाड़ा (छत्तीसगढ़) के ए.ई.एन. के कार्यालय में कार्यरत कार्यालय अधीक्षक के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 के तहत मामला दर्ज हुआ। जिसमें आरोप है कि आरोपी ने शिकायतकर्ता से पूर्वी तट रेलवे में फर्म के द्वारा करवाये गए दो ठेका कार्यो के विरूद्ध एक निर्माण फर्म के खाता सी.सी. बिलों को जारी करने के लिए 31,000 रू. की अवैध रिश्वत की मॉंग की। ऐसा शिकायत में आरोप है कि आरोपी ने शिकायतकर्ता से सम्पर्क किया एवं शुरूआती तौर पर दो ठेका समझौतों के विरूद्ध उक्त फर्म के बिलों को पास करने व भुगतान करने और बिना किसी बाधा के कम्पनी के बिलों पर आगे की कार्यवाही करने के लिए बिल राशि के 05% अर्थात 31,000 रू. (लगभग) की घूस की मॉंग की। सीबीआई ने जाल बिछाया व आरोपी को शिकायतकर्ता से 20,000 रू. की घूस की मॉंग व स्वीकार करने के दौरान रंगे हाथ पकड़ा।

आरोपी को क्षेत्राधिकार अदालत में पेश किया गया एवं न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

****